

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 अप्रैल 2021—चैत्र 26, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2021

क्र. ई-1-54-2021-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा उपायुक्त, पर्यटन, मध्यप्रदेश एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा संस्कृति विभाग एवं उपायुक्त, पर्यटन के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2021

क्र. ई-1-61-2021-5-एक.—मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2020 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण

के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला
(1)	(2)	(3)
1	श्री हिमांशु जैन	नीमच
2	श्री अभिषेक सराफ	छिंदवाड़ा
3	श्री अनिल कुमार राठौर	विदिशा
4	श्री अंशुमन राज	बैतूल
5	श्री प्रखर सिंह	बुरहानपुर
6	श्री विवेक के. वी.	भिण्ड
7	श्री अग्रिम कुमार	मण्डला
8	सुश्री आर. अंजली	कटनी

6581

उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 26 मार्च 2021 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

क्र.ई-1-54-2021-5-एक.—सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013), अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपायुक्त, पर्यटन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2021

क्र. ई-1-153-2020-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन (पे-मैट्रिक्स-17) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	मुख्य सचिव वेतनमान में पदोन्नति पर पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.	अध्यक्ष, राजस्व मंडल

(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा.

क्र. ई-5-973-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 से 27 अप्रैल 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार तोमर, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021

क्र. एफ 3-02-2021-एक-4.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पव-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ

पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अभिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत मध्यप्रदेश में विधान सभा उप चुनाव के सिलसिले में नीचे की अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उनके सामने अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

(2) क्रमांक एफ 3-02-2021-एक-4.—राज्य शासन, एतद्वारा यह भी घोषित करता है कि विधान सभा उप चुनाव के लिये मतदान के दिन दिनांक 17 अप्रैल 2021 (शनिवार) को निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा:—

अनुसूची

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम	मतदान की तारीख
(1)	(2)
जिला दमोह के 55-दमोह	17 अप्रैल 2021 (शनिवार)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. नागेन्द्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2021

क्र. 529-325-2021-एक-10 (पार्ट).—राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन भोपाल को दिनांक 31 जनवरी से 6 फरवरी 2021 तक, कुल सात दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की कार्योंत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

क्र. 540-600-2021-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री जे. पी. गुप्ता, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उपभोग नहीं की गई एल. टी. सी. के बदले दस दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह चतुर्थ अवसर है।

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2021

क्र. 545-595-2021-एक (1).—मान. न्यायाधिपति श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उपभोग नहीं की गई एल. टी. सी. के बदले स्पेशल कैश पैकेज के अंतर्गत दस दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह चतुर्थ अवसर है।

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2021

क्र. 573-655-2021-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री संजय द्विवेदी, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को उपभोग नहीं की गई एल. टी. सी. के बदले दस दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह प्रथम अवसर है।

क्र. 575-609-2021-एक (1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद फहीम अनवर, उच्च न्यायालय, जबलपुर को (दिनांक 13 से 14 फरवरी 2021 तक सार्वजनिक अवकाश के साथ) एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अवकाश नगदीकरण का उपभोग किये जाने का यह तृतीय अवसर है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2021

क्र. एफ-1(ए)28-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री साईं कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दक्षिण जिला-भोपाल को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)2020 EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष अंतर्गत परिवार सहित अवकाश

यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-

1. श्री साईं कृष्ण एस. थोटा — स्वयं
2. श्रीमती संध्या के. एस. — पत्नी

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

क्र. एफ-1(ए)28-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला-बुरहानपुर को भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)2020 EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 के अनुसार खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष अंतर्गत परिवार सहित अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के एवज में विशेष नगद पैकेज का लाभ (ज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन) की स्वीकृति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ प्रदान करता है :-

1. श्री राहुल कुमार लोढ़ा — स्वयं
2. श्रीमती शुभी लोढ़ा — पत्नी
3. कु. स्वरा लोढ़ा — पुत्री
4. श्री शौर्य लोढ़ा — पुत्र

(2) यह स्वीकृति भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 12(2)-2020-EII(A), दिनांक 12 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित शर्तों के अधीन ही इस विशेष पैकेज का लाभ दिनांक 31 मार्च 2021 तक प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

क्र. एफ-1(ए)186-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 22 अप्रैल से 7 मई 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21 अप्रैल 2021 व 8-9 मई 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)20-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल का दिनांक 10 से 25 अप्रैल 2021 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण), पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिथिलेश शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2021

फा. क्र. 1639-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार, (कार्य एवं अधोसंरचना) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर की हैसियत से श्री अजय कुमार गर्ग के स्थान पर.
2	श्री राजीव कुमार कर्महे, रजिस्ट्रार-सह-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल की हैसियत से श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)
3	श्री दिलीप कुमार नागले, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, सागर.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी की हैसियत से श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर) के स्थान पर.
4	श्री संजय कृष्ण जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल की हैसियत से कु. भावना साधो के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकल्पनीय होगा.

फा. क्र. 1639-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर कुटुम्ब न्यायालयों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार सौंपने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल.	जिला सागर में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दिलीप कुमार नागले के स्थान पर.
2	कुमारी भावना साधो, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.	जिला हरदा में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री संजय कृष्ण जोशी के स्थान पर.
3	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड.	जिला रतलाम में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री दीपक गुप्ता के स्थान पर.
4	श्री सुनील कुमार जैन (सीनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी.	जिला जबलपुर में पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री सतीश चन्द्र राय के स्थान पर.

फा. क्र. 1641-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 237/गोपनीय/2021/II-2-1-2021, दिनांक 23 मार्च, 2021 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:—

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अविनाश चन्द्र तिवारी	शहडोल	सतना	सतना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
2	श्री गालिब रसूल	लहार	ग्वालियर	ग्वालियर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
3	श्रीमती संगीता यादव	जबलपुर	रायसेन	रायसेन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
4	श्री मुकेश कुमार दांगी	जबलपुर	सिहोर	सिहोर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
5	श्री विक्रम सिंह बुले	नागदा	बड़वानी	बड़वानी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
6	श्रीमती निहारिका सिंह	भोपाल	देवास	देवास	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
7	श्री अनुराग द्विवेदी	पन्ना	जबलपुर	जबलपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
8	श्री अनिल कुमार पाठक	जबलपुर	छतरपुर	छतरपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
9	श्री पवन कुमार बांदिल	भिण्ड	श्यापुर	श्यापुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
10	श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-2)	छतरपुर	शिवपुरी	शिवपुरी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
11	श्री अरूण श्रीवास्तव	हरदा	रतलाम	रतलाम	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
12	श्री राकेश कुमार शर्मा (सीनियर)	भोपाल	गुना	गुना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
13	श्री संजय पाल सिंह बुंदेला	बरेली	भोपाल	भोपाल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
14	श्री शशिकांत वर्मा	छिन्दवाड़ा	उज्जैन	उज्जैन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
15	श्री विकास भट्टेले	देवास	पन्ना	पन्ना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	श्री आदेश कुमार मालवीय	सतना	बैतूल	बैतूल	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
17	श्री प्रदीप राठौर	आष्टा	हरदा	हरदा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
18	श्री आशुतोष शुक्ला	इंदौर	बुरहानपुर	बुरहानपुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
19	श्री प्रवीण शिवहरे	बड़वाह	मण्डला	मण्डला	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
20	कु. श्वेता गोयल	भिण्ड	कटनी	कटनी	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
21	श्री राजेन्द्र देवड़ा	उज्जैन	शाजापुर	शाजापुर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
22	श्री मुकेश रावत	ग्वालियर	दतिया	दतिया	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
23	श्री राजेन्द्र कुमार	रतलाम	बालाघाट	बालाघाट	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
24	श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर	सिहोर	राजगढ़	राजगढ़	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
25	श्री नवीन पाराशर	दमोह	दमोह	दमोह	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.
26	श्री पंकज कुमार वर्मा	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की हैसियत से.

फा. क्र. 1642-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री मनोज कुमार सिंह II ADJ सागर को अतिरिक्त सचिव के पद पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर एतद्वारा नियुक्त करता है.

Bhopal, the 07th April, 2021

F. No. 1711-1423-XXI-B (II) 2021.—The State Government is pleased to appoint Mrs. Mrinal Elker Mazumdar, Senior Advocate Supreme Court, New Delhi, as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. Her appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of her appointment shall be as per this department's order No. 1(A)7/2005-XXI-B(II), Dated 4th July, 2021. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)- Fees and other payments

to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)- Payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

भोपाल, दिनांक 8 अप्रैल 2021

फा. क्र. 1685-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

डॉ. वैभव विकास शर्मा, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना.

फा. क्र. 1685-2021-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक

से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

श्री अनिल कुमार अग्रवाल, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
(एन. जी. टी.) सेन्ट्रल जोन शाखा (सी. बी. जेड.),
भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2021

फा. क्र. 1669-इक्कीस-ब(दो)-2021.—राज्य शासन, श्री मनीष दवे, अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप से डिप्टी रजिस्ट्रार के पद वेतनमान 15600-39100+6600 ग्रेड पे सातवें वेतनमान में रुपये (63700—206900) लेवल-13 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2021

फा. क्र. 1669-अ-इक्कीस-ब(दो)2021.—राज्य शासन द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1669, दिनांक 5 अप्रैल 2021 की पंक्ति क्रमांक 03 एवं 04 में “वेतनमान 15600-39100+6600 ग्रेड पे सातवें वेतनमान

में रुपये (63700—206900) लेवल-13” के स्थान पर “वेतनमान 15600—39100+6600 ग्रेड पे सातवें वेतनमान में रुपये (67300—206900) लेवल-13” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2021

क्र.-एफ 50-3-2021-बीस-3.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 की धारा 16(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा डॉ. (श्रीमती) रामा मिश्रा, से. नि. प्राध्यापक (शिक्षा), निवासी-इंदौर, मध्यप्रदेश को माध्यमिक शिक्षा मण्डल में उप सभापति (उपाध्यक्ष) के पद पर मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र में नाम निर्देशन संबंधी अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये नियुक्त करता है.

2. उपसभापति (उपाध्यक्ष) के कर्तव्य एवं सेवा शर्तें मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा-16(2)-(3) के अनुसार रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

क्र. एफ-3-45-2021-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क(1) के अन्तर्गत सीहोर विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-3-2014-बत्तीस, भोपाल 11 अगस्त 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अगस्त 2014) को निरस्त करते हुए सीहोर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17-क (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:—

अधिनियम की धारा	पद/व्यक्ति का नाम	संस्था/पता	समिति में पद
17-क(1)	(1)	(2)	(3)
(क)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, सीहोर	सदस्य
(ख)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, सीहोर	सदस्य
(ग)	संसद सदस्य	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, सीहोर	सदस्य
(घ)	विधायक	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, सीहोर	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण/साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, सीहोर	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
(छ)	1. सरपंच	ग्राम पंचायत, लसूडिया परिहार (ग्राम अबदुल्लारपुर जमनी).	सदस्य
	2. सरपंच	ग्राम पंचायत, थूनाकलां	सदस्य
	3. सरपंच	ग्राम पंचायत, पचामा	सदस्य
	4. सरपंच	ग्राम पंचायत, हसनाबाद (ग्राम काला पहाड़)	सदस्य
	5. सरपंच	ग्राम पंचायत, गुड़भेला	सदस्य
	6. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिजोरा	सदस्य
	7. सरपंच	ग्राम पंचायत, जमुनिया तालाब (ग्राम थूनाखुर्द)	सदस्य
	8. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिजोरी	सदस्य
	9. सरपंच	ग्राम पंचायत, रफीकगंज (ग्राम मुंगीसपुर)	सदस्य
	10. सरपंच	ग्राम पंचायत, राजूखेड़ी (ग्राम सेमली खुर्द)	सदस्य
	11. सरपंच	ग्राम पंचायत, पिपरियामीरा (ग्राम चंदेरी)	सदस्य
	12. सरपंच	ग्राम पंचायत, जहांगीरपुरा	सदस्य
	13. सरपंच	ग्राम पंचायत, सेवनिया (ग्राम अबन्तिपुरा, शाहपुरकोडिया, (शिवपुरी).	सदस्य
	14. सरपंच	ग्राम पंचायत, अलहदाखेड़ी (ग्राम सारंगाखेड़ी)	सदस्य
	15. सरपंच	ग्राम पंचायत, तकीपुर (शेरपुर)	सदस्य
	16. सरपंच	ग्राम पंचायत, बरखेड़ी (ग्राम आलमपुरा, भगवानपुरा, बरखेड़ी सीहोर.	सदस्य
	17. सरपंच	ग्राम पंचायत, बड़नगर	सदस्य
	18. सरपंच	ग्राम पंचायत, बमुलिया	सदस्य
	19. सरपंच	ग्राम पंचायत, इमलीखेड़ा (ग्राम बरखेड़ा, बाज्याफत, गेरूखान, सागोनी.	सदस्य
	20. सरपंच	ग्राम पंचायत, पडली (ग्राम बरवाखेड़ी)	सदस्य
	21. सरपंच	ग्राम पंचायत, टिटोरा (ग्राम भैसाखेड़ी)	सदस्य
	22. सरपंच	ग्राम पंचायत, खेडली (ग्राम भंडेली, चैनपुरा) खुरानिया, नापली).	सदस्य
	23. सरपंच	ग्राम पंचायत, बिजलोन	सदस्य
	24. सरपंच	ग्राम पंचायत, लिक्किसगंज (ग्राम गडिया)	सदस्य
	25. सरपंच	ग्राम पंचायत, ढाबला (ग्राम किसनपुरा)	सदस्य
	26. सरपंच	ग्राम पंचायत, धबोटी	सदस्य
	27. सरपंच	ग्राम पंचायत, पडियाला (ग्राम गोपालपुरा)	सदस्य
	28. सरपंच	ग्राम पंचायत, हीरापुर (ग्राम पीपलनेर, रलावती)	सदस्य
	29. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुलसाकला (ग्राम सिकन्दरगंज)	सदस्य
	30. सरपंच	ग्राम पंचायत, कुलासखुर्द	सदस्य
	31. सरपंच	ग्राम पंचायत, पाटनी	सदस्य
	32. सरपंच	ग्राम पंचायत, सिकन्दरगंज	सदस्य
	33. सरपंच	ग्राम पंचायत, उलझावन	सदस्य
(ज)	1. प्रतिनिधि	कलेक्टर, सीहोर	सदस्य
	2. प्रतिनिधि	वन मण्डल अधिकारी, सीहोर	सदस्य
	3. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सीहोर	सदस्य
	4. प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीहोर.	सदस्य
	5. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	6. प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	7. प्रतिनिधि	कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल रायसेन-सीहोर म. प्र.	संयोजक

सूचना

क्र. एफ-3-43-2021-अठारह-पांच.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3184-वि.यो.496-नगानि-2020, भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा प्रकाशित बैरसिया विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार बैरसिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, बैरसिया, मध्यप्रदेश

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी	सारणी कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बैरसिया विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक कृषि	6	6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
			6	6-सा-14	7	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थानें.
- **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2021

क्र.-एफ-14-156-1993-दस-2.—मंत्रि-परिषद् आदेश के आयटम क्रमांक 3 दिनांक 31 मार्च 2021 द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों/चिड़ियाघरों में प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि से विकास निधि की स्थापना हेतु लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद्वारा, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, चिड़ियाघरों हेतु शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जुलाई 2008 द्वारा गठित विकास निधि की व्यवस्था को यथावत् रखने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 22 मार्च 2021

प. क्र. भू-अर्जन-2021-3671.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 16-15 (8) 2014-सात-शा-2 ए. भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के तारतम्य में मेंढा मध्यम परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रभागी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा कलेक्टोरेट, बैतूल को प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अमनबीर सिंह बैंस, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 2620-109-अ-82-20-21

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021

मौजा हिनोतियाकलों पटवारी हल्का नं. 23 तहसील राहतगढ़

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू. क -2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.-2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-	बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	राहतगढ़
3. ग्राम	हिनोतियाकलों
4. पटवारी हल्का नं.	23
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हे० में	18.749 हे०

:: अनुसूची ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा हे० में	अर्जित भूमि (रकवा हे० में)	शेष रकवा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	9
1	बृजलाल बल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	4	1.030	0.130	0.900	
2	सुधाकर उर्फ जीवराव बल्द बाबूलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	7/1	3.740	0.474	4.996	
3	बृजलाल बल्द बाबूलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	7/2	1.730			
4	ऋषिराज बृजराज सुधाकरराव पि.बाबूलाल ममता मुन्नीबाई साधना कल्पना सरला पुत्री बाबूलाल पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	55	4.400	4.400	0.000	
5	श्रीमति चन्द्रबाई बेवा राजकुमार कुर्मी पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	53/1	0.980	0.991	1.069	
6	मोती बल्द भोले पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	53/2	1.080			

1	2	3	4	5	7	8	9
7	हरीबाई उर्फ रेखाबाई पत्नि राजाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	51/1	1.420	1.576	1.264	
8	राजाराम बल्द परसराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	51/2	1.420			
9	अंतेश कुर्मी पुत्र राकेश पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/3/1	0.250	1.007	1.083	
10	नारायण पुत्र भवानीशंकर पता हिनोतिया कला सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/3/2/1	1.380			
11	अनुज पुत्र राकेश कुर्मी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/3/2/2	0.250			
12	मनोज बल्द भवानीशंकर पता हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0 प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	50/3/3	0.210			
13	जमनाप्रसाद ,जगदीश , राजकुमार , कौशलबाई , रामकुंवरबाई , सावित्रीबाई पिस.गोटीराम सुंदरबाई बेवा गोटीराम चंदाबाई पुत्री शिवप्रसाद मिट्टू बल्द शोभा मुन्ना बल्द बेनीप्रसाद दयाराम बल्द मोती घनश्याम सीताराम पि.रामप्रसाद पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	68/1	0.890	0.549	1.121	
14	गोपाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	68/2	0.280			
15	रमेश बल्द टीकाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	68/3	0.500			
16	रमेश बल्द टीकाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.360	0.406	0.474	
17	गोपाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.520			
18	गोपाल बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	70/1	0.280	0.847	0.083	
19	ओंकार बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	70/2	0.280			
20	अभिषेक पिता श्रीसिंग कुर्मी पता हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	70/3	0.370			

1	2	3	4	5	7	8	9
21	नारायण पुत्र कालूराम पता हिनोतिया कला भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	71/1	0.540	0.119	0.811	
22	ओंकार उर्फ संतोषकुमार पुत्र कालूराम पता हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0 प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	71/2	0.390			
23	श्रीदेव जानकी रमणजी बांके मंदिर हिनोतिया कला मु. वाबूलाल बल्द पन्नालाल पता सां देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	6	0.060	0.060	0.000	
24	बालाराम पिता घनश्याम पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	52	0.190	0.190	0.000	
25	लखन पि.टीकाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	56	0.410	0.410	0.000	
26	कपिल पुत्र दयारकरण जाति कुर्मी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी प्रिस पुत्र दयारकरण जाति कुर्मी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	57/1	0.940	0.940	0.000	
27	लखन पि.टीकाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	57/2	0.220	0.220	0.000	
28	लखन पि.टीकाराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	58/1	0.420	0.420	0.000	
29	दयारकरण पिता मोतीलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	58/2	0.420	0.420	0.000	
30	कपिल पुत्र दयारकरण जाति कुर्मी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी प्रिस पुत्र दयारकरण जाति कुर्मी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	59	0.850	0.850	0.000	
31	प्रेम पिता भवानीशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60/1	0.180	0.180	0.000	
32	मोती बल्द भोले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60/2	0.100	0.100	0.000	
33	बालाराम पिता घनश्याम जाति लोधी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	60/3	0.180	0.180	0.000	
34	हरीसीग बल्द देवीसीग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	61	0.040	0.040	0.000	
35	प्रेम पिता भवानीशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/1	0.850	0.850	0.000	

1	2	3	4	5	7	8	9
36	प्रेम पिता भवानीशंकर पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	62/2	0.140	0.140	0.000	
37	बालाराम पिता घनश्याम जाति लोधी पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63/1	0.350	0.350	0.000	
38	कल्याण पिता घनश्याम पता हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63/2	0.640	0.640	0.000	
39	कमलेश पिता घनश्याम पता हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	63/3	0.630	0.630	0.000	
40	कमलाबाई बेवा घनश्याम पता हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64/1	0.030	0.030	0.000	
41	मोती बल्द भोले पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	64/2	0.070	0.070	0.000	
42	रमेश बल्द टीकाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66/1	0.110	0.110	0.000	
43	ओंकार बल्द घनश्याम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	66/2	0.260	0.260	0.000	
44	रमेश बल्द टीकाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/1	0.190	0.190	0.000	
45	अभिषेक पिता श्रीसिंग कुर्मी पता हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/2	0.180	0.180	0.000	
46	रमेश बल्द टीकाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	67/3	0.090	0.090	0.000	
47	वृजराज बल्द करोडी साहू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	117	0.400	0.400	0.000	
48	पुष्पेंद्र पिता रामकुमार जाति कुर्मी पता सा.हिनोतिया कला राहतगढ़ सागर म0 प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	119/1	0.100	0.100	0.000	
49	नारायण पुत्र भवानीशंकर पता हिनोतियाकला राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	119/2	0.100	0.100	0.000	
50	वृजराज बल्द करोडी साहू पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	119/3	0.100	0.100	0.000	
	कुल योग		50	30.550	18.749	11.801	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू. क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.पी. आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

क्र. 2647-107-अ-82-20-21

गौजा चंदनहारी पटवारी हल्का नं. 23 तहसील राहतगढ़

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई.यू क -2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूंकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू क.-2 राहतगढ़, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J-12011/31/2014-IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे। परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. पटवारी हल्का नं.
5. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हे० में

सागर
राहतगढ़
चंदनहारी
23
116.251 हे०

:: अनुसूची ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	क्षेत्रफल कुल रकवा हे० में	अर्जित भूमि (रकवा हे० में)	शेष रकवा	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	7	8	
1	नंदकिशोर रजक पुत्र हल्के पता परासरी कला राहतगढ़ सागर म० प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244/1	0.760	0.760	0.000	
2	सुंदरलाल रजक पुत्र हल्के पता परासरी कला राहतगढ़ सागर म० प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244/2	0.750	0.750	0.000	
3	वंशीलाल रजक पुत्र हल्के पता परासरी कला राहतगढ़ सागर म० प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	244/3	0.760	0.760	0.000	
4	निर्भयसींग देवीसींग घनश्याम पिता जगन्नाथ पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245/1	1.300	1.300	0.000	
5	घनश्याम बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	245/2	1.200	1.200	0.000	
6	मलखानसिंह पिता शिवराजसिंह पता सा. मानकी सलैया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	249	0.800	0.800	0.000	

	2	3	4	5	7	8	
	गुंशी पुत्र पूरन जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/1/1	0.340	0.340	0.000	
9	रघुवीर पुत्र पूरन जाति अहिरवार पता सा चंदनहारी साहतागढ़ सम्पूर्ण भाग म0प्र0 भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/1/2	0.340	0.340	0.000	
9	प्रथमशीम पुत्र पूरन जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सागर म0 प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/1/3	0.330	0.330	0.000	
10	राजू पिता दयाराम जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सागर सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2/1/1	0.210	0.210	0.000	
11	कलू पिता दयाराम जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2/1/2	0.210	0.210	0.000	
12	परमानंद पिता दयाराम जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2/1/3	0.210	0.210	0.000	
13	गुंशी पिता दयाराम जाति अहिरवार पता चंदनहारी साहतागढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2/1/4	0.200	0.200	0.000	
14	कनई पुत्र दयाराम पता साहतागढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	250/2/2	0.170	0.170	0.000	
15	लखमन बल्द अजुद्धी पता सा.परासरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/1	0.130	0.130	0.000	
16	रामिल अनसुल ना.वा.पिता बालाप्रसाद स्नेहा ना.वा.पुत्री बालाप्रसाद बली व खुद मों राधासानी बेवा बाला प्रसाद पता निवासी परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/2	0.130	0.130	0.000	
17	दीपक पिता देवी विद्या बेवा देवी आरती पूजा पुत्री देवी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/3	0.130	0.130	0.000	
18	फूलसिंह पुत्र अजुद्धी जाति रजक पता परासरी कला साहतागढ़ सागर 1/2 भाग भूमिस्वामी रामिल पुत्र बालाप्रसाद जाति रजक पता परासरीकला साहतागढ़ सागर म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/4	0.800	0.800	0.000	
19	फूलसिंह बल्द अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	251/5	0.130	0.130	0.000	
20	लखमन बल्द अजुद्धी पता सा. परासरी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	262/1	0.680	0.680	0.000	

	2	3	4	5	7	8
21	भूमिल अनसुल ना.बा.पिता बालाप्रसाद स्नेहा ना.बा.पुत्री बालाप्रसाद वली व खुद माँ राधारानी बेवा बाला प्रसाद पता निवासी परासरीकलां भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	262/2	0.680	0.680	0.000
22	दीपक पिता देवी विद्या बेवा देवी आरती पूजा पुत्री देवी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	262/3	0.680	0.680	0.000
23	फूलसींग बल्द अजुद्धी पता नि.ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	262/4	0.680	0.680	0.000
24	इन्द्राबाई पति लोटनसींग पता सा.नर्मदा कालोनी देवरी जिला रायसेन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	264	0.150	0.150	0.000
25	विश्वनाथसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति दांगी पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265/1/1	1.170	1.170	0.000
26	भूपेंद्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति दांगी पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265/1/2	0.740	0.740	0.000
27	बलवीरसींग बल्द राजाराम पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	265/2	1.910	1.910	0.000
28	मथुराप्रसाद पिता परमलाल जाति अहिरवार पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/1/1	0.760	0.760	0.000
29	नत्थू पिता परमलाल जाति अहिरवार पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/1/2	0.770	0.770	0.000
30	महेन्द्र पिता अमरसींग जाति अहिरवार पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी रामकुमार पिता अमरसींग जाति अहिरवार पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी नीरज पिता अमरसींग जाति अहिरवार सभी नि0 ग्राम मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 1/3 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/1/3	0.770	0.770	0.000
31	राधेलाल पिता परमलाल जाति अहिरवार पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/1/4	0.770	0.770	0.000
32	रामचंद्र बल्द फदाली पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/2	1.140	1.140	0.000

	2	3	4	5	7	8	
	छांटे पिता दुर्जन पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/3/1	0.380	0.380	0.000	
34	मन्नू पिता दुर्जन पता नि.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/3/2	0.380	0.380	0.000	
35	बाबू पिता मगन संगीता बा. प्रीति रचना ना.बा. पुत्री मगन वली वा खुद मा द्रोपती बेवा मगन पता नि.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/3/3	0.180	0.180	0.000	
36	इंद्रानी बेवा दुर्जन पता नि०ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/3/4	0.390	0.390	0.000	
37	मलखानसिंह पिता शिवराजसिंह पता सा. मानकी सलैया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/4	0.400	0.400	0.000	
38	मलखानसिंह पिता शिवराजसिंह पता सा. मानकी सलैया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	266/5	0.200	0.200	0.000	
39	भूपेंद्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति दांगी पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	267	0.200	0.200	0.000	
40	शैलेन्द्र पुत्र मनोहरसिंह जाति दांगी पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/1/1	1.180	1.180	0.000	
41	भूपेंद्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह जाति दांगी पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/1/2	0.240	0.240	0.000	
42	बलवीरसींग बल्द राजाराम पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/2	0.610	0.610	0.000	
43	मालती पति देवीसींग पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	268/3	0.800	0.800	0.000	
44	देवीप्रसाद बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	269	0.630	0.630	0.000	
45	मूरतसींग पुत्र निर्भयसींग जाति लोधी पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	270/1/1	0.950	0.950	0.000	
46	राजेश पुत्र निर्भयसींग जाति लोधी पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	270/1/2	0.900	0.900	0.000	
47	देवीप्रसाद बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	270/2	1.200	1.200	0.000	
48	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ़ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	272/1	0.070	0.070	0.000	
49	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद सरस्वती शिशु मंदिर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	272/2	0.030	0.030	0.000	

	2	3	4	5	7	8
50	श्रीमती पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ़ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	273	0.180	0.180	0.000
51	इन्द्राबाई पत्नि लोटनसींग पता सा.नर्मदा कालोनी देवरी जिला रायसेन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	274	0.170	0.170	0.000
52	बृजलाल बल्द गुलाब चंद पता सा.भूरेस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	275	0.090	0.090	0.000
53	श्री बिहारी जी मंदिर सा. राहतगढ़ मु. तखतसिंह प्रबंधक कलेक्टर सागर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	276	0.630	0.630	0.000
54	प्रेमलाल बल्द गुलाब चंद पता सा. भूरेस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	277/1	1.070	1.070	0.000
55	मुंशीलाल बल्द हल्के पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	277/2	0.800	0.800	0.000
56	लखन बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284/1	0.410	0.410	0.000
57	रमेश बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284/2	0.070	0.070	0.000
58	औंकार बल्द वालाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284/3	0.070	0.070	0.000
59	मुलू बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284/4	0.070	0.070	0.000
60	लखन बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	284/5	0.070	0.070	0.000
61	औंकार बल्द वालाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	286	0.700	0.700	0.000
62	भगवानदास विहारी बल्द छिमाधर पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	287	1.630	1.630	0.000
63	दौलत लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	288/1	0.310	0.310	0.000
64	देवीसींग पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	288/2	0.310	0.310	0.000
65	कच्छेदी लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	288/3	0.100	0.100	0.000

	2	3	4	5	7	8	
66	दौलत लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी कच्छेदी लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ सागर म0प्र0 1/4 भाग भूमिस्वामी देवीसींग पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ सागर 1/4 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	288/4	0.020	0.020	0.000	
67	श्री मति मीना पत्नि ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	291	1.880	1.880	0.000	
68	श्रीदेव पारसनाथ जी मंदिर हिनोतियांकला मु. हीरालाल बल्द मुन्नालाल प्रबंधक कलेक्टर सागर पता सा. देह राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	292	0.340	0.340	0.000	
69	मधु बेवा कमलकुमार पता भोपाल भोपाल भोपाल म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी निखिल पुत्र कमल कुमार पता भोपाल भोपाल भोपाल म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	293	4.590	4.590	0.000	
70	महेन्द्र कुमार पिता शीतलप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	294/1	3.600	3.600	0.000	
71	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	294/2	0.060	0.060	0.000	
72	राकेश कुमार बल्द शीतलप्रसाद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	295	1.990	1.990	0.000	
73	मधु बेवा कमलकुमार पता भोपाल भोपाल भोपाल म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी निखिल पुत्र कमल कुमार पता भोपाल भोपाल भोपाल म0प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	296	0.070	0.070	0.000	
74	मनोजकुमार बल्द महेन्द्रकुमार पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	297	2.620	2.620	0.000	
75	खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	298	1.350	1.350	0.000	
76	महेन्द्र कुमार बल्द शीतल प्रसाद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	299	1.050	1.050	0.000	
77	महागना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	300	0.060	0.060	0.000	

	2	3	4	5	7	8	
78	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302/1	0.450	0.450	0.000	
79	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद सरस्वती शिशु मंदिर पता सा. राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	302/2	0.220	0.220	0.000	
80	हल्केभाई पिता पहलादसींग पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303	0.700	0.700	0.000	
81	भैयालाल बल्द काशीराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	304/1	0.030	0.030	0.000	
82	प्रेमलाल बल्द गुलाब चंद पता सा. भूरेस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	304/2	0.120	0.120	0.000	
83	हल्केभाई पिता पहलादसींग पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/1	0.220	0.220	0.000	
84	महेन्द्र कुमार बल्द शीतल प्रसाद पता सा. बेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/2	0.800	0.800	0.000	
85	दिनेश पिता पहलादसिंह पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	305/3	0.780	0.780	0.000	
86	गोविंद बल्द प्रथमसिंह पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	306	0.760	0.760	0.000	
87	प्रेमरानी जोजे पहलादसींग पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	307	0.420	0.420	0.000	
88	दिनेश पिता पहलादसिंह पता नि० ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	308	0.150	0.150	0.000	
89	कुंदनसिंह बल्द लक्ष्मनसिंह मनमोहन बल्द श्यामलाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	309	0.100	0.100	0.000	
90	गोविंद बल्द प्रथमसिंह पता सा.मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	311	0.400	0.400	0.000	
91	दंवीरिंह लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	312	0.130	0.130	0.000	
92	लखन बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	313/1	0.190	0.190	0.000	
93	आंकार बल्द वालाप्रसाद पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	313/2	0.180	0.180	0.000	
94	नीलेश पिता आंकार जाति लोधी पता चंदनहारी राहतगढ सागर म०प्र० सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	314	0.110	0.110	0.000	

✓

	2	3	4	5	7	8	
	भूजयसिंह बल्द राजनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	315	0.170	0.170	0.000	
96	महेन्द्र कुमार बल्द शीतल प्रसाद पता सा. वेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	316	0.350	0.350	0.000	
97	दिलीप पिता गिदूलाल जाति अहिरवार पता राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	317	0.060	0.060	0.000	
98	हरप्रसाद मिलीलाल लक्ष्मण पिता ववूआ पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	318	0.810	0.810	0.000	
99	खिलान हल्कई पिस. माखन कस्तूरीवाई काशीवाई पुत्री माखन पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	319	0.190	0.190	0.000	
100	कपिल बल्द ऋषिराज पता सा परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	320	0.260	0.260	0.000	
101	हरीनारायण बल्द भोगीराम पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	321/1	0.730	0.730	0.000	
102	बैजनाथ बल्द भदई पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	321/2	0.200	0.200	0.000	
103	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	322	0.430	0.430	0.000	
104	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	323	1.240	1.240	0.000	
105	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	324	0.970	0.970	0.000	
106	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	325	0.210	0.210	0.000	
107	लखनलाल बल्द भोगीराम पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	326	1.050	1.050	0.000	
108	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	327	0.340	0.340	0.000	
109	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	328	0.670	0.670	0.000	
110	राजनसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	329	0.150	0.150	0.000	
111	गोविंदसिंह अजयसींग पिस. चंदनसींग शैलेन्द्र पिता रघुवीरसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी ऊषा आभा पुत्री रघुवीरसींग सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	330	0.290	0.290	0.000	
112	जितेन्द्रसिंह पिता वावूसींग पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	331/1	1.470	1.470	0.000	
113	शिवराजसिंह पिता गजराजसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	331/2	1.470	1.470	0.000	

	2	3	4	5	7	8	
	श्रीविराज पिता भोगीराम जाति तिवारी पता मानकी सलैया राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	332	1.840	1.840	0.000	
115	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	333	0.120	0.120	0.000	
116	संजयसिंह वल्द राजनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	334	0.230	0.230	0.000	
117	श्रीदेव पारसनाथ जी मंदिर हिनोतियाकला मु. हीरालाल वल्द मुन्नालाल प्रबंधक कलेक्टर सागर पता सा. देह राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	335	0.480	0.480	0.000	
118	दिलीप पिता मिट्टूलाल जाति अहिरवार पता राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	337	0.920	0.920	0.000	
119	मुंशी पिता पुन्ना जाति अहिरवार पता चंदनहारी राहतगढ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	338	0.110	0.110	0.000	
120	श्रीदेव पारसनाथ जी मंदिर हिनोतियाकला मु. हीरालाल वल्द मुन्नालाल प्रबंधक कलेक्टर सागर पता सा. देह राहतगढ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	339	0.420	0.420	0.000	
121	गोविंदसिंह पिता चन्दनसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/1	0.200	0.200	0.000	
122	अजयसिंह पिता चन्दनसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	341/2	0.210	0.210	0.000	
123	वायूलाल वल्द मिट्टू पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	401	0.690	0.690	0.000	
124	जयराम वल्द मोती पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	407	0.160	0.160	0.000	
125	कमलकुमार वल्द कलू पता सा. हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/2	0.340	0.340	0.000	
126	कमलकुमार वल्द कलू पता सा. हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/3	1.480	1.480	0.000	
127	प्रकाश वल्द गोपालसिंह पता सा. हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	409/1	0.460	0.460	0.000	
128	प्रकाश वल्द गोपालसिंह पता सा. हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	409/2	1.820	1.820	0.000	
129	संजयसिंह वल्द राजनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	410/1	1.920	1.920	0.000	
130	यशवंतसिंह वल्द जंगवहादुरसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	410/2	1.200	1.200	0.000	

	2	3	4	5	7	8	
	रविन्द्र पिता रतनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	410/3	2.000	2.000	0.000	
132	गोविंदसिंह पिता चन्दनसिंह पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	411/1/1	0.280	0.280	0.000	
133	राहुल पुत्र गोविंदसिंह जाति सिंह पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	411/1/2	0.800	0.800	0.000	
134	अजयसिंह पिता चन्दनसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	411/2	1.070	1.070	0.000	
135	मुकेशसिंह पिता रामशरणसिंह पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	412	0.650	0.650	0.000	
136	राजनसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	414	3.560	3.560	0.000	
137	यशवंतसिंह बल्द जंगबहादुरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	415/1	1.540	1.540	0.000	
138	रामाबाई उर्फ बृजबाला बेवा रतनसिंह जाति राजपूत पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	415/2	1.530	1.530	0.000	
139	जंगबहादुरसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	416	1.010	1.010	0.000	
140	यशवंतसिंह बल्द जंगबहादुरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	417	0.650	0.650	0.000	
141	प्रकाश बल्द गोपालसिंह पता सा. हिनोतियाकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	418	1.700	1.700	0.000	
142	जयराम बल्द मोती पता सा. मानकी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	419/1/1	0.500	0.500	0.000	
143	कपिल बल्द ऋषिराज पता सा परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	419/1/2	0.400	0.400	0.000	
144	कपिल बल्द ऋषिराज पता सा परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	419/2	0.600	0.600	0.000	
145	रामदयाल बल्द सरु पता सा.देह परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	112	3.450	0.996	2.454	
146	कमलादेवी पति हुकुमचंद पता सा. वेगमगंज भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	113	1.650	0.294	1.356	

	2	3	4	5	7	8	
147	रमेश पुत्र निर्भयसींग जाति लोधी पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239/1	0.140			
148	देवीप्रसाद बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239/2	0.140	0.789	0.811	
149	घनश्याम बल्द भैयालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	239/3	1.320			
150	यशवंतसिंह बल्द जंगबहादुरसिंह पता सा देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	242/1	0.950	1.014	0.886	
151	रवेन्द्र पिता रतनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	242/2	0.950			
152	रामरतन पिता रामसेवक पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	243/1	0.650	1.615	0.035	
153	रामदयाल बल्द उद्धेत पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	243/2	1.000			
154	शेरसिंह पुत्र रामेश्वर पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	252	2.670	2.435	0.235	
155	इन्द्रबाई पत्नि लोटनसिंह पता सा. नर्मदा कालोनी देवरी जिला रायसेन भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	260	1.150	1.052	0.098	
156	वृजलाल बल्द गुलाब चंद पता सा.भूरेस भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	277/3	1.020	0.742	0.278	
157	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद राहतगढ़ रामकिशन सीताराम हरनाम पिता पन्नालाल भूमिस्वामी दुलारी बेवा पन्नालाल पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	278/1	0.700	0.090	0.960	
158	महामना पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा परिषद सरस्वती शिशु मंदिर पता सा. राहतगढ़ भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	278/2	0.350			
159	मोती मुन्ना पिस. चेतू वरलोबाई बेवा चंतू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	279	0.850	0.042	0.808	
160	मोती मुन्ना पिस. चेतू वरलोबाई बेवा चंतू पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	280	0.420	0.270	0.150	
161	लखन बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281/1	0.500			
162	रमेश बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281/2	1.000	0.786	1.714	
163	मुलू बल्द वालाप्रसाद पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	281/3	1.000			

	2	3	4	5	7	8	
164	कछेदी लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/1	0.210		0.010	0.380
165	देवीसिंह लोधी पुत्र जयसींग पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	282/2	0.180			
166	खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	283	1.930	1.225	0.705	
167	भगवानदास विहारी बल्द छिमाधर पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	289	0.300	0.167	0.133	
168	संजयसिंह बल्द राजनसिंह पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/1	1.160			
169	श्री मति मीना पत्नि ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/2	1.000	2.495	0.265	
170	श्री मति मीना पत्नि ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	336/3	0.600			
171	गब्बू पिता पुन्ना जाति अहिरवार पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0 प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	342/1	0.860			
172	मुंशी पिता पुन्ना जाति अहिरवार पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	342/2	0.750	1.312	0.318	
173	गब्बू पिता पुन्ना जाति अहिरवार पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म0 प्र0 1/2 भाग भूमिस्वामी मुंशी पिता पुन्ना जाति अहिरवार पता चंदनहारी भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	342/3	0.020			
174	संधेर पुत्र शिवराज पता मानकी सलैया राहतगढ़ सागर म0प्र0 सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	402/1	0.800		0.726	0.274
175	विजेन्द्रसिंह, धर्मैन्द बल्द पहलादसिंह विमला बेवा प्रहलादसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	402/2	0.200			
176	विजेन्द्रसिंह, धर्मैन्द बल्द पहलादसिंह विमला बेवा प्रहलादसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	403/1	1.030	0.278	0.752	
177	लक्ष्मनसींग बल्द नारायणरींग पता सा.देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	404/1	0.470	0.040	0.430	
178	संदभ, रामर्थ पिता सुनीलकुमार प्रीति बवा सुनीलकुमार पात नि0 ग्राम भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	408/1	2.000	1.313	0.687	
		कुल योग --	178	129.980	116.251	13.729	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक - एफ 16 -15- (7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू - अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.-2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक: 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक: 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् कय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, वेतवा पी.पी. आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 1 फरवरी 2021

प्र. क्र. 0012-अ-82-2020-21.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. DY/CE/C/AK/KNW/AMX/LA, दिनांक 8 जून 2020 प्रस्तुत कर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम फतेहपुर, पटवारी हल्का नं. 94, तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 3.130 हेक्टे. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, अनय द्विवेदी, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	94	फतेहपुर	3.130	अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

- (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0012-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013” की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	फतेहपुर	3.130	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण.—अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 फरवरी 2021

क्र. 1447-भू-अर्जन-2020.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत राज्य शासन के लोक निर्माण सेतु संभाग जबलपुर के अंतर्गत कहानी से पलारी मार्ग सागर नदी सेतु निर्माण हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप "ख" में सहमति प्रस्तुत की गयी है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

अतः निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

अनुसूची

राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2020-21

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	सिंचित/असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	केवलारी	खैरा प.ह.नं. 08.	कपिल, अमित आत्मज नारायणदास जाति तेली	67/1/1	0.01	असिंचित (अकृषि/ आवासीय).	निरंक
	योग			1	0.01		

क्र.-2011-जि.भू.अ.-2021

सिवनी, दिनांक 23 मार्च 2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

--:--अनुसूची--:--**1- भूमि का विवरण:-**

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.मे)	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-सिवनी भाग-1	ग्राम-जमुनिया ब.नं.-196 प.ह.नं.-118	0.27 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा	पंच व्यपवर्तन परियोजना की मा.नं.15 की सब माईनर नहर के निर्माण हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-2012-जि.भू.अ.-2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—:—अनुसूची—:—**1- भूमि का विवरण:-**

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-बंडोल	ग्राम-नारायणगंज ब.नं.-391 प.ह.नं.-37	0.08 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

क्र.-2013-जि.भू.अ.-2021

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत जहां सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे। उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—:—अनुसूची—:—**1- भूमि का विवरण:-**

जिला	तहसील/रा.नि. मं.	नगर /ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)	भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	तहसील-सिवनी रा.नि.मं.-सिवनी भाग-1	ग्राम-लखनवाड़ा ब.नं.-532 प.ह.नं.-114	0.15 हेक्ट. एवं उस पर स्थित संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा	पेंच व्यपवर्तन परियोजना की माईनर नंबर 19 के निर्माण हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र.-4812-भू-अर्जन-2021

होशंगाबाद, दिनांक 03 अप्रैल 2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण

जिला	तहसील/ रा.नि. मण्डल	नगर/ ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे./ व.मी. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	किशनपुर	ख.नं. 33, 34/1 रकबा 0.146 हे. (1460 व.मी.)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, होशंगाबाद	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक पहुँच मार्ग निर्माण हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय नगरपालिका अधिकारी होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद में आक्षेप यदि कोई हो तो, लिखित रूप में किए जा सकेंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) होशंगाबाद की लेखबद्ध अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/करायेगा तथा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

पत्र क्र.-4814-भू-अर्जन-2021

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

1-भूमि का विवरण

जिला	तहसील/ रा.नि. मण्डल	नगर/ ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे./ व.मी. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
होशंगाबाद	होशंगाबाद नगर	किशनपुर	ख.नं. 4/2 रकबा 0.131 हे. (1311.15 व.मी.)	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, होशंगाबाद	मुख्य पंपिंग स्टेशन (MPS) निर्माण हेतु

- (1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय नगरपालिका अधिकारी होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा-15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि-अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद में आक्षेप यदि कोई हो तो, लिखित रूप में किए जा सकेंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) होशंगाबाद की लेखबद्ध अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/करायेगा तथा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सुजित नहीं करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश
शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0013-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-4 सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छूट संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 18 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश निमाड़ंचल खण्डवा में दिनांक 19 अक्टूबर 2019 को, स्वदेश इन्दौर में दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, आम इशतहार दिनांक 30 सितम्बर 2019 को हुआ. डी. एम. की बेवसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 30 सितम्बर 2019 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि रकबा	सही संशोधित प्रविष्टि रकबा
(1)	(2)
7.252 है.	6.714 है.

(2) उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 7.252 है. के स्थान पर 6.714 है. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगाव आखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि कुल रकबा 4.065 हेक्टे. के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को दैनिक भास्कर में 21 सितम्बर 2020 को आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की बेवसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके

अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
363	0.017	383	0.017 है.
		279	0.017 है.
274	0.295 है.	274	0.106 है.
303	0.020 है.	303	0.031 है.
268/1	0.165 है.	विलोपित	
2/1	0.396 है.	विलोपित	
289	0.017 है.	विलोपित	
271/1	0.219 है.	विलोपित	
271/2	0.231 है.	विलोपित	
268/2	0.221 है.	विलोपित	
267/2	0.014 है.	विलोपित	
241/2	0.001 है.	विलोपित	
243/2	0.078 है.	विलोपित	
239	0.012 है.	विलोपित	
272	0.122 है.	विलोपित	
275	0.009 है.	विलोपित	
267/1	0.105 है.	विलोपित	
269	0.261 है.	विलोपित	
243/1	0.034 है.	विलोपित	
242	0.137 है.	विलोपित	

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 4.065 है. के स्थान पर 1.882 है. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0013-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम पिपलोद खास की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की बेवसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच

उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
1088/1	2.116 है.	1088/1	1.510 है.
		1088/2	0.200 है.
1120/1	0.119 है.	1150/1	0.119 है.
1022/1	0.227 है.	विलोपित	
		(डबल प्रविष्टि होने से एक प्रविष्टि विलोपित)	

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 7.252 है. के स्थान पर 6.714 है. पढ़ा जावे.

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0004-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बवनगांव आंखई की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि संशोधित कुल रकबा 4.065 हेक्टे. के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा-11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की बेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. रेल्वे विभाग द्वारा मौके अनुसार जाँच उपरान्त संशोधन प्रस्तुत किया गया है. अतः उक्त प्रारम्भिक अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
रकबा	रकबा
(1)	(2)
4.065 है.	1.882 है.

उक्त प्रकाशन प्रारम्भिक अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.065 है. के स्थान पर 1.882 है. पढ़ा जावे.

खण्डवा, दिनांक 8 जनवरी 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0005-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम लाडनपुर की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में 21 सितम्बर 2020 को आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की बेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
0.065	229	229	0.001 है.
0.001	203/2	203/2	0.065 है.
0.065	316	316	0.065 है.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.320 है. यथावत् रहेगा.

खण्डवा, दिनांक 30 जनवरी 2021

नस्ती क्र.-एल.ए.-2019-प्र. क्र.-0008-अ-82-2019-20.- शुद्धि पत्र.—उप मुख्य इंजीनियर निर्माण दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के प्रस्ताव के आधार पर अकोला-खंडवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम दीपला की अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 16 अक्टूबर 2020 को, पत्रिका खण्डवा में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को, दैनिक भास्कर में दिनांक 21 सितम्बर 2020 को आम इशतहार दिनांक 23 सितम्बर 2020 को हुआ. डी. एम. की बेबसाईड पर अपलोडिंग दिनांक 23 सितम्बर 2020 को किया गया. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)	(1)	(2)
227/2	0.05	227/2	0.005 है.
208	0.004	208/1	0.004 है.

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 3.432 है. यथावत् रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित
सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 14 मार्च 2021

क्र. 54-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—दुर्गापुर
(घ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल—0.230 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
76/1	0.052
77	0.146
78/1/1	0.016
78/1/2	0.016
योग . . .	<u>0.230</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“अंबक नाला तालाब नहर विस्तारीकरण हेतु”.
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुग्रहा पी. कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2021

पत्र क्र. 127-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

चूंकि, ग्राम लालगांव, राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव, पटवारी हल्का लालगांव, तहसील सिरमौर, बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में सेहरांव नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—लालगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.164 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2309/1	0.030
2314/2	0.012
2310/3	0.037
2314/3	0.022
2313/5	0.012
2314/4	0.020
2314/1	0.027
2306/4	0.004
योग . . .	<u>0.164</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के सेहरांव नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 128-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि, ग्राम जोड़ौरी 180, राजस्व निरीक्षक मण्डल लालगांव, पटवारी हल्का खरहरी, तहसील सिरमौर, बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग में सेहरांव नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु, इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
 (ख) तहसील—सिरमौर
 (ग) नगर/ग्राम—जोड़ौरी-180
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.025 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.020
41/1	0.005
योग . .	<u>0.025</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बैकुण्ठपुर लालगांव मार्ग के सेहरांव नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय, जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 उल्लैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 मार्च 2021

मौजा सेमरामेड़ा, पट.ह.नं.-28, तहसील राहतगढ़

क्र. 07-अ-82-17-18-भू-अर्जन-2021-2623.—भू-अर्जन प्रकरण 07-अ-82-18-19 में बीना परियोजनान्तर्गत चकरपुर बांध निर्माण हेतु मौजा सेमरामेड़ा, पट. ह. नं.-28, तहसील राहतगढ़, जिला सागर की भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार का प्रकाशन दिनांक 20 नवम्बर 2019 को किया गया तथा धारा 19 के प्रकाशन की बारह मास की अवधि दिनांक 19 नवम्बर 2021 को पूर्ण हो चुकी है। उक्तावधि में कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा सुखी विधान सभा उपचुनाव 2020 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण अवाई पारित किये जाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी है। अतः अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत प्रकरण में धारा 19(1) की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा घोषणा और सार की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंडला, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. भू-अर्जन-01-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मंडला
 (ख) तहसील—विन्डिया

- (ग) ग्राम—करंजिया माल. प.ह.नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.35 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
567/5	0.35
योग . .	<u>0.35</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना में बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in, पर देखी जा सकती है.
- (4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 मार्च 2021

क्र. 2131-भू.अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. ऐरमा जलाशय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई

- (ग) नगर/ग्राम—करहैया, प.ह.नं. 26, रा.नि.मं.—सुकतरा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—4.95 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
428	1.00
429	1.00
430/1	1.60
437/1	0.02
443/1	0.13
445/1	0.14
446/1	0.87
404	0.19
योग . .	<u>4.95</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—ऐरमा जलाशय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरई, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 24 मार्च 2021

क्र. 2040-जि.भू.अ.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. ऐरमा जलाशय के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—कुरई, रा.नि.मं.—सुकतरा

- (ग) नगरग्राम—ग्राम-आगरी, ब.नं. 18, प.ह.नं.-22
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—0.50 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
54/3	0.07
54/5	0.03
54/4	0.06
31/1	0.15
31/2	0.07
31/4	0.07
28/2	0.05
योग . .	0.50

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—ऐरमा जलाशय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरई, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सिवनी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.